जनसत्ता

31 दिसंबर, 2019

लापरवाही के अस्पताल

किसी त्रासद घटना का सबसे अहम सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में उससे बचाव के सारे इंतजाम किए जाएं। लेकिन हमारे यहां बड़ी विडंबना यह है कि समान प्रकृति की दुखद घटनाओं के सिलसिले सामने आते रहते हैं और शायद ही कभी एहतियात बरती जाती है, ताकि फिर वैसी ही स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। गौरतलब है कि राजस्थान के कोटा शहर में जेके लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय एवं न्यू मेडिकल कॉलेज नाम के एक सरकारी अस्पताल में बीते दो दिनों के भीतर दस छोटे बच्चों की मौत हो गई। पिछले एक महीने के दौरान सतहत्तर बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई। ये वे बच्चे थे, जिन्हें अगर समय पर इलाज मिल गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। अब सरकार और अस्पताल की ओर से इस सफाई के बाद शायद चुप्पी साध ली जाएगी कि जिन बच्चों की मौत हो गई, उनकी स्थिति पहले ही नाजुक हो चुकी थी। आमतौर पर हर ऐसी तरह की घटना सुर्खियों में आने के बाद इसी तरह की सफाई दी जाती है। लेकिन सवाल है कि अपना पल्ला झाड़ने के बजाय क्या ऐसी घटनाओं का उदाहरण सामने रख कर बचाव के पूर्व इंतजाम नहीं किए जा सकते?

जब काफी तादाद में बच्चों की जान चली गई तब विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने अस्पताल अधीक्षक को देखरेख में कमी बरतने के आरोप में पद से हटा दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सालों में इस तरह से जान जाने के मामलों में कमी आई है। लेकिन इन दावों की हकीकत बच्चों की मौत के जारी सिलसिले से पता चलती है। सवाल है कि अगर मौजूदा सरकार के नुमाइंदे पहले की सरकारों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी बताते हैं तो आज भी अस्पतालों की वही तस्वीर कैसे कायम है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बहुत कमजोर है और एक तरह से इसी खास वजह से बच्चों की असमय जान चली जा रही है। पिछले कुछ सालों में इसी तरह के हालात में सैकड़ों बच्चों की मौतों के मद्देनजर मां और शिशु का जीवन बचाने के मकसद से राज्य सरकार ने 'निरोगी राजस्थान' कार्यक्रम की शुरुआत की है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद और अस्पताल लाए जाने के बाद भी बच्चों की मौत की घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा सका तो यह गंभीर चिंता की बात है।

दरअसल, ऐसी घटनाओं की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। बीमारी की चपेट में आए बहुत सारे बच्चे ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों से होते हैं, जहां प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेहद कमजोर है। जाहिर है, समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाने की वजह से बच्चों की स्थिति पहले ही ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे में अगर शहरी इलाकों में बेहतर अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा भी दी जाएं तो स्थिति में कितना फर्क आ पाएगा? यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कुछ अस्पतालों में किसी खास बीमारी की चपेट में आए भारी संख्या में बच्चों की मौत हो गई। हर बार जब घटना पर विवाद उठ जाता है और मामला तूल पकड़ लेता है, तब सरकारों की ओर से सफाई के तौर पर जो कहा जाता है, उसमें शायद ही कभी जिम्मेदारी लेने की बात होती हो। सवाल है कि अगर किसी खास मौसम में बड़ी तादाद में बच्चों के किसी बीमारी जद में आने और उनकी जान तक जाने का खतरा बढ़ जाता है तो ऐसे में सरकार हालात से निपटने के लिए क्या इंतजार करती रहती है?

ओआइसी की राजनीति

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान कितना परेशान है, इसका पता इस बात से चलता है कि उसने इस मसले पर जल्द ही इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) की बैठक बुलाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में ओआइसी के सदस्यों के विदेश मंत्री भारत से जुड़े इन मसलों पर चर्चा के लिए पाकिस्तान में जमा हो सकते हैं। हाल में सऊदी अरब के विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति, भारत में नागरिकता कानून और एनआरसी का मसला उठाया था और इन मुद्दों पर इस्लामिक देशों का सम्मेलन बुलाने की मांग की थी। इस पर सऊदी अरब ने सहमति जता दी। इसके बाद से ही यह सवाल उठने लगा कि भारत के अंदरूनी मामलों में आखिर सऊदी अरब पाकिस्तान को क्यों समर्थन दे रहा है। क्या यह माना जाए कि ओआइसी में पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है? हालांकि सऊदी अरब गिनती यों भी पाकिस्तान के बड़े मददगार देशों में होती है। ऐसे में अगर वह पाकिस्तान को हवा देता है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

कश्मीर मामले पर ओआइसी का रुख भले कुछ हो, लेकिन इस संगठन के ज्यादातर सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध अच्छे ही हैं। पाकिस्तान ने ओआइसी में जब-जब कश्मीर मुद्दा उठाया है, उसे कोई बड़ा हासिल हाथ नहीं लगा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के कहने पर सारे मुसलिम देश भारत के खिलाफ हो गए हों और भारत के साथ उनके रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव आया हो। बैठकों के बाद भारत के खिलाफ साझा बयान भले जारी होते हों, लेकिन बैठक से इतर सदस्य देश कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला कह कर बच निकलने की नीति पर चलते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को ओआइसी का समर्थन भी मिल जाता है, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। इस साल मार्च में अबु धाबी में ओआइसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को आमंत्रित कर इस संगठन ने यह संदेश दिया था कि बदलते वक्त के साथ वह भी बदल रहा है और इसका दायरा सिर्फ मुसलिम देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के कड़े विरोध और बहिष्कार के बावजूद विशेष आंमत्रित के सदस्य के रूप में भारत को बुलाया गया था। तब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इसके लिए पहल की थी। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। लेकिन सम्मेलन की समाप्ति पर जारी प्रस्ताव में कश्मीर मसले पर भारत की आलोचना की गई थी।

दरअसल सऊदी अरब इन दिनों मुसलिम जगत की राजनीति से परेशान है। इसी महीने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए मुसलिम राष्ट्रों के सम्मेलन को लेकर जो राजनीति चल रही है, उससे सऊदी अरब की नींद उड़ी हुई है। उसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं मलेशिया मुसलिम जगत का खलीफा न बन बैठे। इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस सम्मेलन में शिरकत नहीं करने के लिए दबाव डाला था। पाकिस्तान मान तो गया लेकिन अब उसने कश्मीर सहित एनआरसी और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर ओआइसी की बैठक बुलाने के लिए सऊदी अरब पर दबाव बनाया और इसमें वह सफल हो गया। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि कश्मीर मुद्दा उठा कर उसे कुछ नहीं मिलेगा। सऊदी अरब तो उसका इस्तेमाल भर कर रहा है।

कल्पमेधा

झूठे की सजा यह नहीं कि उसका विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि वह खुद ही किसी का विश्वास नहीं करता।

– शेक्सपियर

नागरिकता कानून और सच

रमेश पोखरियाल 'निशंक'

प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक भारत ने हमेशा शरणागत लोगों का न केवल स्वागत किया है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए एक वातावरण भी उपलब्ध कराया है। चाहे महात्मा गांधी हों या जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद सबने ही तो इस बात की चिंता की है कि शरणार्थी को सम्मान सहित आसरा उपलब्ध कराए जाना चाहिए। हमारा गौरवमय इतिहास रहा है।

युगों से भारतीय संस्कृति ने मानव सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। भारत की संस्कृति इस देश की आत्मा है। यह संस्कृति एक निरंतर प्रवाहमान धारा है, जिसे ऋषियों, संतों और सूफियों ने अपनी पवित्र साधना और दर्शन से सींच कर एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित कर विश्व को प्रेरित किया है। युगों-युगों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिपादित किया है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा इस तथ्य पर जोर दिया है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है।

भारत सरकार ने संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 पारित कराया। यह कानून अल्पसंख्यक शरणार्थियों को वर्षों के उत्पीड़न से निजात दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह कानून देश के संविधान की मूल भावना को पोषित और रक्षित करता है। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के संबंध में है जो 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले से भारत में रह रहे हैं।

प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक भारत ने हमेशा शरणागत लोगों का न केवल स्वागत किया है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए एक वातावरण भी उपलब्ध कराया है। चाहे महात्मा गांधी हों या जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद सबने ही तो इस बात की चिंता की है कि शरणार्थी को सम्मान सहित आसरा उपलब्ध कराए जाना चाहिए। हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है। एक समृद्ध परंपरा रही है कि हमने अपनी धरती पर दूसरे देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों का दिल खोलकर स्वागत किया है। 12 जुलाई 1947 की प्रार्थना सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था जिन लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया था, उन्हें पता होना चाहिए कि वे पूरे भारत के नागरिक थे....उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत की सेवा करने और उनकी महिमा से जुड़ने के लिए पैदा हुए थे। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। स्वाधीनता के समय और आज हम अल्पसंख्यकों का अनुपात देखें ,तो पाएंगे कि भारत के विपरीत उनके अनुपात में काफी कमी आई है। पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार को देख कर 15 नवंबर 1947 को नई दिल्ली में एनआइसीसी की बैठक में जेबी कृपलानी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से आने वालों के लिए भारतीय संघ के सेवा और समझौतों के संदर्भ में केंद्रीय और प्रांतीय नियमों को सहज कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने समय-समय पर ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार को इंगित करते हैं। 26 सितंबर, 1947 को महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में खुले तौर पर घोषणा थी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में उन्हें नौकरी देने और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। 12 फरवरी, 1964 को एचएन मुखर्जी ने कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बातें की जा रही हैं जो लोग आ रहे हैं और जो पहले यहां आ चुके हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। वे शरणार्थी नहीं हैं। उन्हें एक घर उपलब्ध कराना होगा। यह देश उनका घर होना चाहिए।

इस अधिनियम के माध्यम से इसी दिशा में काम किया गया है। शरणार्थियों का मुद्दा हमेशा से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस अधिनियम के लिए कवायद 2014 में प्रारंभ हुई थी। अगर क्रमवार देखा जाए तो पता चलेगा कि 15 जून 2015 को जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चार हजार तीन सौ हिंदू और सिख एक वर्ष के अंदर शरणार्थी बनकर भारत आए। इसका परिणाम यह हुआ कि 19 जुलाई 2016 को नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मंथन के लिए इसे अगस्त 2016 में संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। पूरे ढाई साल तक संयुक्त संसदीय समिति ने नागरिकता संशोधन मसौदे का गहन अध्ययन किया और जनवरी 2019 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जनवरी, 2019 में विधायक लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में रुक गया। पिछली लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह रद्द हो गया था, इसलिए अब इसे पुनः संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद तीन देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग तभी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं जब उन्हें भारत में पांच वर्ष पूरे हो चुके हों। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 मई 1971 में कहा था-'15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की पीड़ा को साझा करने के लिए, उन्हें इस सदन और लोगों यानी भारत की सहानुभूति और समर्थन के लिए स्वयं पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जो उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है।'

उपेक्षित, त्रस्त, प्रताड़ित, सताए लोगों को अगर शरण देने की बात है तो यह तो हमेशा से होता आया है। वसुधैव कुटुंबकम और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' की भावना से प्रेरित होकर दुनिया के हर असहाय, कमजोर व्यक्ति को हमने आसरा दिया है। यही कारण है कि महान हिंदी कवि जय शंकर प्रसाद ने कहा है- 'अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।'

यहां यह बताना आवश्यक है कि विश्व के किसी भी देश का मुसलिम भारत की नागरिकता के लिए मूल भारतीय अधिनियम के अनुभाग के तहत अपना आवेदन दे सकता है और नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान भी भारतीय नागरिकता कानून के अनुभाग के तहत आवेदन दे सकते हैं और भारत में शरण लेने के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर राजनीति की जा रही है। विरोध कर रहे विद्यार्थियों को, आम लोगों को यही नहीं पता कि वे विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि राजनीति से प्रेरित एक दुष्प्रचार यह किया जा रहा है कि भारत में गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक मामले की जांच नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत होगी। सच बात यह है कि ऐसे मामलों पर फैसला विदेशियों से संबंधित अधिनियम के तहत ही होगा। कुछ लोग संविधान के अनुछेद 14 और 21 की दुहाई देकर कह रहे हैं कि इस अधिनियम को लाकर सरकार ने इन दो अनुच्छेदों के विपरीत कार्य किया है। जबकि सच यह है कि यह अधिनियम इन अनुच्छेदों की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं करता है। संसद विशेष परिस्थितियों को देखकर कानून बना सकती है, जैसे हज पर जाने वाले यात्रियों को सब्सिडी देती है और अटल सरकार के दौरान इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। वैसे भी यह अधिनियम केवल पारसी या केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, यह हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों के लिए है। पूरे देश को यह बताना जरूरी है कि इस नए अधिनियम के तहत नागरिकता साबित करने हेतु कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। कुछ लोग रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। जहां तक रोहिंग्या का प्रश्न है, उनमे से बहुत सारे लोग म्यांमार में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आइके गुजराल ने कहा था कि हमने संसद में मोहम्मद अली जिन्ना के ऐतिहासिक भाषण में उन्हें यह कहते हुए सुना था कि नया पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और आधुनिक राज्य होगा। दुर्भाग्य से यह एक अल्पकालीन भ्रम था। नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में कई भ्रांतियां हैं, जो निराधार हैं। लोगों ने अपने-अपने ढंग से अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या शुरू कर दी। स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ लोग भ्रमित दुष्प्रचार कर इस कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्णत; हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित और संविधान की मूल भावना से ओतप्रोत है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा 1947 से 1967 के बीच में लगभग 70 लाख हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए। 15 साल पहले नेहरू लियाकत समझौता में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया गया था लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है ।

यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं हैं कि यह कानून परंपरागत भारतीय मूल्यों के साथ उन सार्वभौमिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर है जिनसे भारत की विश्व में पहचान बनी है। जहां एक ओर हमने हमेशा विदेशी भूमि से लोगों का स्वागत किया है और उन्हें गले लगाया है, उनके मूल्यों और परंपराओं को समाहित करती हमारी संस्कृति अत्यंत विविधताओं को समेटे हुए एक खूबसूरत जीवंतता के दर्शन कराती है। विविध भाषाएं, विविध परंपराएं और विविध अस्तित्व का आनंद मनाते हमने एक बात पर जोर दिया है और वह है मानवीय मूल्य। सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारा हमारी प्राथमिकता रही है। हम न केवल दूसरों के दर्द को समझते हैं और साझा करते हैं, बल्कि उनके दुख दूर करने का प्रयास भी करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम इन्हीं मानवीय मूल्यों को परिलक्षित करता है।

(लेखक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं।)

स्मृतिलोप का प्रकोप

राकेश सोहम्

दुनिया मेरे आगे

जीवन में स्मृतियों का बड़ा महत्त्व है। मेरे एक मित्र नाक, कान और गला विशेषज्ञ हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में 'अफेशिया' का शिकार हो गए थे। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, मस्तिष्क में अगर तीन मिनट से अधिक खून का संचार अवरुद्ध हो जाए तो मानव मस्तिष्क आंशिक या पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो सकता है। इस घटना में उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उनका आधा मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया। स्मरण शक्ति पर बहुत बुरा असर हुआ। आश्चर्यजनक रूप से उनकी 'वर्ड-मेमोरी-वेनिश' हो गई, यानी दिमाग से शब्द-स्मृति पूरी तरह समाप्त हो गई। स्कूली शिक्षा से लेकर चिकित्सा पेशे की सारी पढ़ाई-लिखाई विस्मृत हो गई! वे बोलने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन शब्दों के अभाव में बोल नहीं पाते। आज भी वे किसी भी भाषा में किए गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए शब्द-भंडार नहीं होता। वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला सीखने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को रखा हुआ है। सच्चाई यह है कि फिर उसी स्तर का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिए शायद एक जीवन फिर से जीना होगा। स्मृति के अभाव में मित्र का चिकित्सीय पेशा समाप्त हो गया है। उनका स्मृतिलोप दुर्घटना के कारण हुआ था, लेकिन आज बिना किसी दुर्घटना के, केवल गलत जीवनशैली की वजह से स्मृतिलोप की बीमारी आम होती जा रही है।

आधुनिक मोबाइल-युग में मानव-स्मृति की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित हुई है। लंबा समय हुआ, जब कैलकुलेटर अस्तित्व में आया और छोटे-मोटे हिसाब-किताब के लिए मानव-मस्तिष्क का इस्तेमाल घट गया था। अब तो कैलकुलेटर की सुविधा मोबाइल में भी है। बल्कि किसी व्यक्ति का नाम, पता, ईमेल आइडी या मोबाइल नंबर को याद रखने की आवश्यकता नहीं रही। ये सब जानकारी मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध हो जाती है। मानव-मस्तिष्क के घटते उपयोग और प्रयोग से स्मृतिलोप की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि स्मृति और वास्तविकता में जमीन-आसमान का फर्क होता है। स्मृति में बसे चित्र और अवसर सुनहरे पल बन कर सुकून देते हैं। स्मृति में बसी बचपन की यादें, मकान, रास्ते, आयोजन और अवसर मन को प्रसन्नता से भर देते हैं।

निश्चित ही कैमरायुक्त मोबाइल से गजब की डिजिटल क्रांति आई है। जीवन के हरेक अवसर को कैमरे की स्मृति में संजो लिया जाता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इन संजोए हुए छाया चित्रों को दोबारा या बार-बार देखते होंगे। मानव स्मृति के साथ सबसे बड़ा घाटा यह हुआ कि मोबाइल में कैद करने के चक्कर में हम सामने घटने वाली घटनाओं, प्रकृति, परिस्थिति या मानवीय संवेदनाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते। लोग इतने निर्दयी होते देखे जाते हैं कि घातक दुर्घटनाओं में भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने की अपेक्षा मोबाइल से फोटोग्राफी करते रहते हैं। प्रतिदिन प्रातः भ्रमण प्रकृति से जुड़ने का श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि प्रकृति हमें ऊर्जा देती है। अनेक लोग प्रातः भ्रमण के लिए जाते भी हैं। लेकिन आजकल अधिकतर युवा प्रातः भ्रमण के दौरान कानों में इयरफोन लगा कर गाना सुनते रहते हैं। ऐसे में प्रकृति से पूरी तरह जुड़ने के अभाव में मिलने वाली ऊर्जा से वे वंचित रह जाते हैं। वे खूबसूरत लम्हों को आत्मसात नहीं कर पाते। नदियां, जलप्रपात, पहाड़ी की ऊंची चोटियां और जंगल को सेल्फी में कैद करने के चक्कर में कई बार वे अप्रिय घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कई बार दुर्घटनाओं के मूल में यही एक कारण छिपा होता है। जुड़ाव के अभाव में स्मृतियां सूनी रह जाती हैं। ऐसा व्यक्ति एकांत में शून्यता महसूस करता है और खिन्नता से मन ऊब जाता है।

कुछ दिनों से सपरिवार बाहर कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही थी। कोई ऐसी जगह जहां कुदरत का भरपूर नजारा हो। लेकिन किसी न किसी वजह से प्रकृति से रूबरू हो पाने की योजना असफल हो जाती थी! बच्चों और पत्नी का कहना था कि ऐसी जगह घूमने जाने का क्या औचित्य है! किसी महानगर घूमने जाना चाहिए। प्रकृति, हरियाली, पंछी और जानवर आदि तो मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पर ही देख लेते हैं। इस तरह की सोच आज आम है। लोग आभासी कुदरत को ही असली कुदरत मान रहे हैं। दिनोंदिन असली प्रकृति का महत्त्व घटता नजर आ रहा है! आमतौर पर शहरी माहौल में रहने वाले बच्चे प्रकृति से कटते जा रहे हैं। वे न पंछियों का कलरव सुन पाते हैं, न कुत्ते बिल्ली के अलावा कोई और पशु या जानवर को देख पाते हैं।

एक वैज्ञानिक शोध बताता है कि प्रकृति से दूरी की वजह से शहरों में तनाव बढ़ रहा है। जो सुकून वास्तविक प्रकृति से मिलता है वह आभासी प्रकृति से नहीं मिलता। फिर चाहे वह प्रकृति हम प्लाज्मा टीवी में ही क्यों न देखें। आज का कड़वा सच यह है कि वास्तविक कुदरत का अहसास समाप्त हो रहा है। इसे वैज्ञानिक भाषा में 'एनवायरनमेंटल जेनरेशन अमनेसिया' यानी 'प्रकृति के प्रति पीढ़ीगत स्मृतिलोप' कहा जाता है। कहीं हम और आप भी तो इसके शिकार नहीं हो रहे हैं?

सशक्तिकरण की राह

हाल ही में जारी हुई वैश्विक आर्थिक मंच की 'लैंगिक अंतर सूचकांक' रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं के पास संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य दृष्टिकोण आवश्यक है। भारत की स्थिति 2019 में 153 देशों में 112 वें स्थान पर है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में चार अंक की गिरावट आई है। सूचकांक के पैमानों के हिसाब से महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी, उनका स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्तर तथा राजनीतिक सशक्तिकरण को मद्देनजर रख कर तैयार किया जाता है। इसके तहत वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से महिलाओं के हित में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं को लेकर समाज में जो अनिश्चितता है, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम मिल पाते है। अगर कहीं रोजगार मिलता भी है तो वहां उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। घर में जो महिलाएं कार्य करती है, उसका तो कोई आर्थिक मोल तय ही नहीं किया जाता। इसे भारतीय अर्थवयवस्था में नहीं गिना जाता, जो नींव महिलाओं के द्वारा तैयार की गई और जिसके माध्यम से पुरुष घर से बाहर जाकर काम कर पाते हैं।

इसके अलावा 'आर्थिक लैंगिक अंतर' के मामले में भारत 153 देशों में 149 वें स्थान पर है, जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा सात अंक की गिरावट दर्ज की गई है। श्रम आधारित मामले में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कुल जनसंख्या का मात्र 20 वां भाग है। वहीं स्वास्थ्य तक पहुंच तथा भेदभाव, जबरन विवाह, सामाजिक लिंग आधारित मुद्दे आदि मामले में अभी डेढ़ सौवें स्थान पर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के बाद बहुत सारे बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार हुआ है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में भारत 153 देशों में से 18 वें स्थान पर है जो यह दर्शाता है कि देश में राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2019 के आम चुनावों में देखने को मिला, जब महिलाओं को 78 सीटों पर इस बार चुना गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में सत्रह सीट अधिक है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हुआ है।

लेकिन अभी तक सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उससे भी अधिक तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य और समाज का कर्तव्य है कि लगातार महिलाओं की उन्नति के लिए प्रयासरत रहे। वैश्विक स्तर पर देश महिला सशक्तिकरण के रूप में उभरे, क्योंकि महिलाओं में कार्यक्षमता अद्भुत है, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

● *करन कुमार खोइया , ग्वालियर, मप्र*

प्रकृति का रुख

आजकल देश के कुछ राज्य कंपकंपाती ठंड के आगोश में हैं। लेकिन यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है, जब गरमी के मौसम में झुलसाने वाला माहौल बनता है या फिर बाढ़ कहर बरपाती है या सूखा परेशान करता है तब भी ऐसे ही परेशानी बढ़ती है। लेकिन जब पेड़ बबूल के बोए जाएं तो मीठे आम की उम्मीद रखना भी नासमझी मानी जानी चाहिए। यानी हमने अगर भौतिकतावाद और आधुनिकता की अंधी दौड़ में प्रकृति की नाक में दम किया है तो यह उम्मीद करना हमारी नासमझी होगी कि प्रकृति भी हमारी हमेशा हितैषी बनी रहेगी।

मौसम की बेरुखी और समय-समय पर जो आपदाओं के रूप में प्रकृति जो कहर बरपाती है, उसके जरिए दरअसल वह इंसान को समझाती है कि इंसान प्रकृति के आगे अभी भी बौना है। बेशक इंसान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी तरक्की के बड़े-बड़े दावे कर ले, लेकिन प्रकृति की ताकत अभी असीम है। महात्मा गांधी ने पर्यावरण और सतत विकास पर कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज निहित हैं। इंसान द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ का बुरा नतीजा प्राणी जाति की जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकता है। इंसान अभी भी अगर प्रकृति को संभालने के प्रति गंभीर नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब प्राणी का धरती पर रहना जीना दुश्वार हो जाएगा।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

बहाली और तनाव

प्रतियोगी विद्यार्थी अपने-अपने गांव मोहल्लों से निकल कर सर्वस्व त्याग करके शहरों में जाकर तैयारी में जुटे हुए है। लेकिन भर्तियों में होने वाली देरी उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि भर्तियों की देरी से प्रतियोगियों का मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आज केवल उत्तर प्रदेश में ही अलग-अलग महकमों में हजारों पद खाली हैं और उन पर नियुक्तियां बाधित हैं। इन पर अदालत और सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण प्रतियोगियों का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव के कारण शिक्षा व्यवस्था दिनोंदिन तबाह होती जा रही है। साथ ही भर्तियों में सम्मिलित प्रतियोगी भी आस लगाए बैठे हैं। इसी तरह से सरकारी भर्ती प्रक्रिया में मनमानी होती रही तो आने वाला समय बढ़ती बेरोजगारी की वजह से त्रासद साबित होगा।

● *तेज बहादुर मौर्य, बीएचयू, वाराणसी*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com